:: आदेश ::

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 100/भूमि /2025–26 दिनांक 14 मई, 2025 के द्वारा राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.99 है0 (पूर्व में 02 है0) संशोधित राजस्व वन भूमि हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक [illegible] सितम्बर, 2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय बैठक का कार्यवृत दिनांक 01.10.2024 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख किया गया है कि "the area proposed for diversion Is given in three patches covering 2.00 ha area which appears on higher side. The project proponent was asked to reduce the area to bare minimum to which project proponent accepted to reduce it to 0.99 ha or say 1.00 ha area in one patch and accordingly CA to be submitted over 2.00 ha."

उक्त प्रकरण पर उप–जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 305/र0का0–भूमि हस्ता0/2024–25 दिनांक 27, अगस्त, 2025 द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता हेतु प्रस्तावित भूमि 0.99 है0 भूमि के सापेक्ष 2.00 है0 भूमि ग्राम गोरणा की जमींदारी विनाश रहित खतौनी की खाता संख्या–10 की श्रेणी–9(3)ख–2 अन्य प्रकार के वृक्ष झाडियों के समूह हो, के खसरा नम्बर 243 रकबा 2.663 है0 मध्ये 2.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है, तथा चयनित भूमि के अभिलेख प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तारित/नामान्तरित करने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः मैं जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग शासनादेश संख्या 2173/ XVIII (II)/ 2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग–02 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार उप–जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र चोपता/घिमतोली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम ग्राम गोरणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–10 खसरा नं0–243 रकबा 2.663 है0 मध्ये 2.000 है0, चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

ह0
(प्रतीक जैन),
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

। कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 6050 /छब्बीस–24 (2018–19)/ दिनांक : रुद्रप्रयाग : 19 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड-शासन देहरादून।
4– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार रुद्रप्रयाग को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8– प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग)।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner